न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025 / 139
मुकदमा नम्बर 35 / 2025 दर्ज दिनांक– 25.03.2025

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शिम्भूसिंह निवासी वार्ड नं. 4 खिरोड, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. मलखू पत्नी शिम्भूसिंह निवासी वार्ड नं. 4 खिरोड, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर, श्री नेमीचन्द डूडी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 237 पुराना 190 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1863 रकबा 1.2400 है०, खसरा नम्बर 1864 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.9200 है०, खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.9300 है०, खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.8400 है0, खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.9300 है०, खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.2500 है० कुल किता 7 कुल रकबा 5.3400 है0 जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1 / 32–1 / 32 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में प्रार्थी संख्या 1 का नाम धर्मवीर पुत्र मूलचन्द के स्थान पर धमेन्द्र पुत्र शिम्भूसिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मल्लू पत्नी मूलचन्द के स्थान पर मलखू पत्नी शिम्भूसिंह सही दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक / भू.अ. / 24 / 7768 दिनांक 15.05.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक / भू.अ. / 24 / 7768 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 237 पुराना 190 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1863 रकबा 1.2400 है०, खसरा नम्बर 1864 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.9200 है०, खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.9300 है०, खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.8400 है0, खसरा नम्बर 1886 रकबा 0. 9300 है०, खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.2500 है० कुल किता 7 कुल रकबा 5.3400 है0 जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में प्रार्थी संख्या 1 का नाम धर्मवीर पुत्र मूलचन्द के स्थान पर धमेन्द्र पुत्र शिम्भूसिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मल्लू पत्नी मूलचन्द के स्थान पर मलखू पत्नी शिम्भूसिंह,दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक/भू.अ./24/7768 दिनांक 15.05.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू